



(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)

डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट: खमरिया, जबलपुर – 482005, मध्य प्रदेश, भारत  
दूरभाष: +91-761-2794123, +91-761-2794025 फैक्स: +91-761-2794094  
ई-मेल: registrar@iiitdmj.ac.in

EoI No.: IIITDMJ/DSA/EoI/2026/01/786

Date: 20/01/2026

### निम्नलिखित दुकानों के संचालन हेतु

1. चाय/कॉफी दुकान
2. फ्रूट्स जूस एंड वेजिटेबल दुकान
3. स्टेशनरी दुकान
4. किराना (ग्रोसरी) दुकान

वशिष्ठ छात्रावास (हाल-1) के समीप, IIITDM जबलपुर

रुचि की अभिव्यक्ति (EoI) से संबंधित समय-सीमा	
संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड की तिथि	23-01-2026
EoI जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	06-02-2026 (सायं 05:00 बजे तक)
साक्षात्कार की तिथि एवं समय	11-02-2026 (प्रस्तावित, प्रातः 11:00 बजे)

संस्थान की वेबसाइट: <https://www.iiitdmj.ac.in>

**(किसी भी संशय की स्थिति में इस EoI का अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।)**

**यह दस्तावेज़ कुल 11 पृष्ठों का है।**

**पी.डी.पी.एम. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी,**

**अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर**

दिनांक: \_\_\_\_\_

**रुचि की अभिव्यक्ति**

1) चाय/कॉफी की दुकान 2) फ्रूट्स जूस एंड वेजिटेबल दुकान 3) स्टेशनरी की दुकान 4) किराना दुकान चलाने के लिए सीलबंद निविदा (EoI) आमंत्रित किए जाते हैं। कार्य का दायरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है, नियम व शर्तें अनुलग्नक -2 में दी गई हैं। आवंटन की जाने वाली हर दुकान का कुल एरिया 149.5 वर्ग फुट है। अनुभव प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र और दस्तावेजों के साथ फॉर्मेट अनुलग्नक -3 में दिया गया है, अंडरटेकिंग अनुलग्नक -4 में दी गई है, कॉफी दुकान के लिए सामानों की सूची अनुलग्नक -5 में उल्लेखित है, फ्रूट्स जूस एंड वेजिटेबल दुकान के लिए सामानों की सूची अनुलग्नक -6 में दी गई है। **Expression of Interest के सभी दस्तावेज को 06-02-2026 (शाम 05:00 बजे)** तक डिस्पैच सेक्शन में रखे कोटेशन बॉक्स में डालना है।

इच्छुक फर्मों को सूचित किया जाता है कि वे अपने दावे के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों के मूल प्रतियों के साथ **11-02-2026** को (प्रातः 11:00 बजे) संस्थान कॉन्फ्रेंस हॉल, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में एक समिति के सामने बातचीत के लिए व्यक्तिगत रूप से आएंगे।

**कुलसचिव**

प्रतिलिपि:

- 1) निदेशक --- कृपया जानकारी के लिए।
- 2) सभी PICs/सभी HoDs/FICs
- 3) कुलसचिव, कृपया जानकारी के लिए
- 4) संकाय के सभी सदस्य
- 5) सभी DRs/ARs/सहायक लाइब्रेरियन/AE (सिविल)
- 6) मुख्य वार्डन/सभी वार्डन
- 7) प्रभारी: वेबसाइट

पी.डी.पी.एम. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी,अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर**1. कार्य का दायरा (SCOPE OF WORK)**

1.1 चयनित फर्म को PDPM-IIITDM जबलपुर परिसर में छात्रों, कर्मचारियों एवं आगंतुकों के लिए दुकान संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

1.2 आवंटन की अवधि 01 वर्ष होगी तथा संतोषजनक सेवाओं के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

1.3 किसी भी बिक्री के लिए सभी ग्राहकों को कंप्यूटरीकृत रसीद प्रदान करना अनिवार्य होगा।

1.4 सभी दुकानें सप्ताह में रविवार को छोड़कर (यदि आवश्यक हो) प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक खुली रहेंगी। किसी विशेष दिन दुकान न खोल पाने की स्थिति में चयनित फर्म को संकाय प्रभारी (छात्र कार्य) [FIC (SA)] से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने पर चेतावनी दी जाएगी। एक चेतावनी के बाद प्रत्येक ऐसी घटना पर ₹500/- का दंड लगाया जाएगा।

1.5 चयनित फर्म को संस्थान द्वारा प्रस्ताव दिए जाने की तिथि से अगले 15 दिनों के भीतर दुकान प्रारंभ करनी होगी। निर्धारित समय-सीमा में बिना सूचना दिए दुकान प्रारंभ न करने की स्थिति में प्रस्ताव निरस्त कर दिया जाएगा।

1.6 चयनित फर्म केवल उन्हीं वस्तुओं का विक्रय/सेवा करेगी जिन्हें समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो। सूची में किसी नए आइटम को जोड़ने हेतु समिति अथवा सक्षम प्राधिकारी से पृथक से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

1.7 चयनित फर्म दुकान के बाहर उपयुक्त स्थान पर अनुमोदित दर सूची प्रदर्शित करेगी।

1.8 दुकान में किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक नहीं होगा।

## 2. सामान्य नियम एवं शर्तें (GENERAL TERMS AND CONDITIONS)

जहाँ PDPM भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर (जिसे आगे “संस्थान” अथवा “लाइसेंसर” कहा जाएगा) इस EoI में उल्लिखित शर्तों के अधीन लाइसेंसी को लाइसेंस देने के लिए सहमत है। लाइसेंसी (जिसे आगे “चयनित फर्म” कहा जाएगा) हॉल ऑफ़ रेजिडेंस-I के समीप स्थित परिसर में उपर्युक्त दुकानों के संचालन हेतु **प्रति दुकान ₹2000/- (रुपये दो हजार मात्र)** मासिक लाइसेंस शुल्क अदा करेगा।

1. अनुबंध की अवधि 12 माह की होगी, जिसमें प्रथम 03 माह परिवीक्षा (प्रोबेशन) अवधि के होंगे। संतोषजनक सेवा पाए जाने पर अनुबंध शेष अवधि के लिए स्वतः विस्तारित हो जाएगा। किसी भी पक्ष द्वारा 30 दिन का स्पष्ट नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि में केवल 15 दिन का नोटिस पर्याप्त होगा। संतोषजनक सेवाओं पर अनुबंध अवधि बढ़ाई जा सकती है।
2. चयनित फर्म को संस्थान के खाते में **प्रति दुकान ₹20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र)** की सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी।
3. चयनित फर्म को आवेदन पत्र में अपना पूर्ण स्थायी एवं अस्थायी पता देना अनिवार्य होगा।
4. चयनित फर्म को संस्थान के साथ एक समझौता करना होगा। अनुबंध की शर्तें, लाइसेंस की शर्तें तथा स्वीकृति पत्र, समझौते का अभिन्न भाग होंगे। स्टाम्प पेपर का व्यय चयनित फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।
5. जिनकी उम्मीदवारी स्वीकृत होगी, उन्हें 10 दिनों के भीतर अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा तथा प्रस्ताव तिथि से 15 दिनों के भीतर दुकान प्रारंभ करनी होगी। विलंब, टालमटोल या अस्वीकार की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है तथा समिति का निर्णय अंतिम होगा।
6. चयनित फर्म को 03 माह की परिवीक्षा अवधि के भीतर नगर निगम से प्राप्त “दुकान एवं स्थापना पंजीकरण” की प्रति जमा करनी होगी।
7. संस्थान को बिना कारण बताए किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. दुकान खोलने एवं बंद करने का समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
9. चयनित फर्म को अपने कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। बिना संस्थान द्वारा जारी सुरक्षा पास के कोई भी कर्मचारी/आगंतुक परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक, PDPM-IIITDM जबलपुर का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

11. कर्मचारियों का वेतन चयनित फर्म द्वारा आपसी सहमति से तय किया जाएगा तथा भुगतान का रिकॉर्ड रखा जाएगा।  
न्यूनतम वेतन अधिनियम एवं श्रम कानूनों का पालन अनिवार्य होगा।
12. ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारी/स्वामी:  
(i) नशे में न हों, (ii) शिष्ट व्यवहार वाले हों, (iii) आपराधिक पृष्ठभूमि न हो, (iv) स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर हों।
13. परिसर में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित होगी।
14. कर्मचारी/स्वामी परिसर को निवास के रूप में उपयोग नहीं करेंगे। निर्धारित समय के अतिरिक्त उपयोग केवल विशेष कारणों (जैसे माल प्राप्ति, कीट नियंत्रण, इन्वेंट्री आदि) हेतु होगा।
15. कीट/चूहे नियंत्रण कम से कम त्रैमासिक किया जाएगा तथा तिथि सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।
16. संस्थान में प्लास्टिक पॉलिथीन/बैग/बर्तन का उपयोग निषिद्ध होगा।
17. प्रत्येक खरीद पर ग्राहक को तत्काल उचित बिल/कैश मेमो प्रदान किया जाएगा।
18. भुगतान का माध्यम केवल दुकान/स्वामी के नाम पर अनिवार्य होगा (बिल/UPI आदि)।
19. संस्थान केवल स्थान व बिजली उपलब्ध कराएगा। फर्नीचर व अन्य ढांचा चयनित फर्म अपने खर्च पर लगाएगी।
20. दुकानदार केवल निर्धारित स्थान पर ही दुकान संचालित करना होगा।
21. भारत सरकार के श्रम कानूनों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा बाल श्रम निषिद्ध रहेगा।
22. चयनित फर्म को संस्थान परिसर पर किसी भी प्रकार का स्वामित्व अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
23. बिना अनुमति परिसर में कोई भी परिवर्तन/उप-पट्टा नहीं किया जाएगा। संस्थान को स्थान परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
24. बिक्री हेतु वस्तुओं की सूची सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करानी होगी। किसी नए सामाग्री चालू करने से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
25. कचरा निपटान प्रबंधन के निर्देशानुसार तथा वायु एवं जल (प्रदूषण) अधिनियम के अनुसार होगा।
26. दुकान प्रतिदिन न्यूनतम 10 घंटे खुलेगी (समय आपसी सहमति से तय होगा)।
27. चयनित फर्म पर्याप्त संख्या में स्टाफ नियुक्त करेगी।
28. बिना अनुमति आंतरिक परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। स्वीकृति पर खर्च फर्म ही वहन करेगी।
29. किसी भी वस्तु का मूल्य MRP से अधिक नहीं होगा संभव हो तो छूट दी जाएगी।
30. प्रति दुकान ₹2000/- मासिक शुल्क (रुपये दो हजार मात्र) प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अग्रिम जमा करना होगा तथा रसीद की प्रति FIC (SA) कार्यालय में जमा करनी होगी।

31. समय पर किराया न देने पर अगले माह पिछला किराया दोगुना होगा। लगातार दो माह का किराया बकाया होने पर दुकान सील की जा सकती है।
32. लंबे समय तक का किराया बकाया रहने पर संस्थान दुकान सील कर सामान की नीलामी कर सकता है।
33. अनुबंध समाप्ति पर NOC तिथि तक का किराया देय होगा तथा परिसर खाली करना अनिवार्य होगा।
34. चयनित फर्म को दुकानों के पानी और बिजली के वास्तविक खर्चों का वहन करना होगा, जिसे प्रत्येक माह संस्थान के लेखा कार्यालय में जमा करना होगा और इसकी एक प्रति FIC (SA) के कार्यालय में जमा करनी होगी। और ट्यूब बल्ब आदि की स्थापना/बदलाव की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
35. चयनित फर्म धारा 1.4 में उल्लिखित अनुसार सुबह 10:00 बजे से रात 11:00 बजे तक सामान्य रूप से दुकान चलाएगी। आपातकालीन स्थिति में, यदि एक या दो दिन के लिए दुकान बंद करनी हो, तो चयनित फर्म को सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति के दुकान बंद रखने पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर प्रति दिन 500 रुपये या उससे अधिक का जुर्माना लगाया जाएगा।
36. बिक्री वस्तुओं की बिक्री नकद में की जाएगी। संस्थान किसी को भी उधार पर वस्तुएं बेचने के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा और न ही बिक्री कर/व्यापार कर/आयकर देनदारियों/श्रम कानून देनदारियों के लिए उत्तरदायी होगा।
37. संस्थान के निदेशक को बिना कारण बताए अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
38. एक्सपायरी/बासी वस्तुएँ दुकान में नहीं रखी जाएँगी।
39. निरीक्षण में सक्षम प्राधिकारी या उसका प्रतिनिधि समय-समय पर दुकान की समग्र स्वच्छता, वस्तुओं की गुणवत्ता और समाप्ति तिथि की जाँच कर सकता है। दुकान में निम्न गुणवत्ता वाली/समाप्त हो चुकी वस्तुएँ रखने पर, समिति द्वारा उचित समझे जाने पर प्रति घटना 2000 रुपये या उससे अधिक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि दुकान और आस-पास का परिसर गंदा पाया जाता है, तो समिति द्वारा उचित समझे जाने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना और आसपास के क्षेत्र की सफाई का वास्तविक खर्च भी लगाया जाएगा।
40. चयनित फर्म सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना दुकान के बाहर (अपने कार्यक्षेत्र से असंबंधित) विज्ञापन प्रदर्शित या प्रकाशित नहीं करेगी।
41. किसी भी विवाद की स्थिति में, निदेशक, पी.डी.पी.एम. IIITDM जबलपुर, मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
42. दुकान में शराब, मादक पेय, गुटखा, सिगरेट और नशीले पदार्थों का उपयोग और बिक्री वर्जित है। यदि कोई छात्र इनमें से किसी भी वस्तु का उपयोग करता है, तो उसे तुरंत रजिस्ट्रार/एफआईसी (छात्र) को इसकी सूचना देनी होगी।
43. चयनित फर्म सुझाव पुस्तिका का रखरखाव करेगी जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा मासिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

44. चयनित फर्म के पास दुकान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए, धन का प्रमाण कोटेशन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
45. जबलपुर शहर में दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां (जैसे मार्कशीट, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, अनुबंध की प्रतियां आदि) और दुकान खोलने से संबंधित अन्य कानूनी दस्तावेज (जहां लागू हो) जैसे जीएसटी, टीआईएन, खाद्य लाइसेंस, श्रम प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक गैस कनेक्शन प्रमाण पत्र आदि जमा करने होंगे।
46. दुकान के आवंटन के बाद, चयनित फर्म को समझौते की प्रति हमेशा काउंटर पर रखनी चाहिए; यदि निरीक्षण के दौरान दुकान में प्रति नहीं पाई जाती है, तो दुकान का आवंटन रद्द किया जा सकता है और एफआईसी (एसए) का निर्णय अंतिम होगा।
47. आवेदकों को पिछले 2 वर्षों के दौरान अपने व्यवसाय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
48. उपरोक्त के अलावा, यदि कोई व्यक्ति (जैसे पूर्व सैनिक/विधवा महिला/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति) उपर्युक्त दुकानें खोलना चाहता है, तो वह भी अपनी रुचि प्रस्तुत कर सकता है और समिति में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
49. यह अनुबंध जबलपुर (मध्य प्रदेश) के कानूनी अधिकार क्षेत्र के अधीन है।
50. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज स्व-सत्यापित होने चाहिए।
51. एक आवेदक को केवल 01 दुकान के लिए आवेदन करने की अनुमति है।
52. वस्तु एवं दर सूची परिशिष्ट-5 (चाय/कॉफी), परिशिष्ट-6 (फ्रूट्स जूस एंड वेजिटेबल दुकान) में संलग्न है। किराना दुकान में स्टेशनरी शामिल नहीं होगी।

कुलसचिव

मैं ऊपर दी गई शर्तों और नियमों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम:


पता:

दिनांक:.....

आवेदन प्रपत्र

समिति,

- ☐ चाय/काँफी की दुकान  
☐ फ्रूट्स जूस एंड वेजिटेबल दुकान  
☐ स्टेशनरी की दुकान  
☐ किराने की दुकान



महोदय,

मैं \_\_\_\_\_ को प्रारंभिक रूप से 12 माह के लिए संचालित करने में इच्छुक हूँ। कृपया मेरी उम्मीदवारी पर विचार करने की कृपा करें। मैंने इस EoI के कार्य-क्षेत्र तथा नियम एवं शर्तों को पढ़ लिया है तथा यदि मुझे \_\_\_\_\_ (दुकान का नाम) का अनुबंध प्रदान किया जाता है, तो मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पूरा नाम:.....

पिता का नाम:.....

वर्तमान पता:.....

स्थायी पता:.....

मोबाइल नंबर: .....

चेक लिस्ट

संलग्न: (कृपया नीचे लागू होने वाले पर टिक करें)

- |                         |  |                           |
|-------------------------|--|---------------------------|
| 1. आधार कार्ड           | 2. अनुभव की कॉपी   | 3. FSSAI लाइसेंस          |
| 4. लेबर लाइसेंस         | 5. पैन नंबर की कॉपी  | 6. GST नंबर (यदि लागू हो) |
| 7. कमर्शियल गैस कनेक्शन | 8. चालू बैंक खाता / बैंक स्टेटमेंट (पिछले 01 वर्ष) / IT रिटर्न |                           |



### घोषणापत्र (UNDERTAKING)

1. मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने PDPM-IIITDM जबलपुर के प्रस्तावित कार्य से संबंधित सभी नियम एवं शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है, उन्हें भली-भांति समझ लिया है तथा उनका पालन करेंगे।
2. मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने “कार्य संपादन हेतु मापदंड एवं तकनीकी विनिर्देश” को समझ लिया है और कार्य का निष्पादन उन्हीं मापदंडों के अनुसार सख्ती से करेंगे।
3. मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हमारी फर्म किसी भी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं है।
4. मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इस EoI में दी गई सभी जानकारियाँ पूर्णतः सत्य एवं सही हैं तथा इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी हमारी होगी।

दिनांक: \_\_\_\_\_

(आवेदक के हस्ताक्षर फर्म की मुहर सहित)

स्थान: \_\_\_\_\_

## चाय/कॉफी दुकान की दर सूची

क्र.सं.	वस्तु का नाम	मात्रा	दर
1	दूध	200 मि.ली. (1 गिलास)	20
2	चाय	80 मि.ली. (1 कप)	8
3	ग्रीन टी	80 मि.ली. (1 कप)	10
4	मसाला चाय	80 मि.ली. (1 कप)	10
5	नींबू चाय	80 मि.ली. (1 कप)	10
6	बॉर्नविटा दूध	200 मि.ली. (1 गिलास)	35
7	ब्रेड जैम	02 पीस	15
8	ब्रेड बटर	02 पीस	15
9	ब्रेड टोस्ट जैम	02 पीस	20
10	ब्रेड टोस्ट बटर	02 पीस	25
11	कॉफी	80 मि.ली. (1 कप)	10
12	कोल्ड कॉफी	150 मि.ली. (1 कप)	30
13	प्याज पकौड़ा	50 ग्राम	10
14	वेज सैंडविच	02 स्लाइस	30
15	वेज चीज़ सैंडविच	02 स्लाइस	40
16	टोस्टेड वेज स्पाइसी	02 स्लाइस	50
17	पैटीज़	01 पीस	15
18	पनीर पैटीज़	01 पीस	35
19	वेज चीज़ कॉर्न सैंडविच	01 पीस	40
20	वेज बर्गर	01 पीस	35
21	वेज चीज़ बर्गर	01 पीस	50
22	पोहा/उपमा	150 ग्राम	15 प्रति प्लेट
23	इडली	02 पीस	30 प्रति प्लेट
	वड़ा	02 पीस	—
	डोसा	01 प्लेट	—
	उत्तपम	01 प्लेट	—
24	सभी प्रकार के परांठे	01 पीस	15/20
25	वेज मोमोज़	06 पीस	25 प्रति प्लेट
26	पनीर मोमोज़	06 पीस	40 प्रति प्लेट
27	मंगोड़े/भजिया	प्रति प्लेट	30/35
28	समोसा/आलू बन्डा	01 पीस	10

## फ्रूट्स जूस एंड वेजिटेबल दुकान की दर सूची

क्र.सं.	वस्तु का नाम	छोटा (250 मि.ली.)	बड़ा (350 मि.ली.)
1	मिक्स जूस	30	40
2	मौसंबी जूस	30	40
3	अनानास जूस	30	40
4	संतरा जूस	30	40
5	अनार जूस	40	55
6	सब्जी जूस	30	40
7	आम जूस	40	55
8	अनानास जूस	30	40
9	गाजर जूस	20	30
10	केला शेक	20	30
11	बटर शेक	30	40
12	वनीला शेक	30	40
13	आम शेक	20	30
14	चॉकलेट शेक	30	40
15	स्ट्रॉबेरी शेक	30	40
16	पपीता शेक	20	30
17	सेब शेक	30	40
18	कीवी शेक	30	40
19	रुहआफ़ज़ा शेक	20	30
20	केसर पिस्ता शेक	30	40
21	बादाम शेक	40	55
22	ब्लैक करंट	30	40
23	ड्राई फ्रूट्स लस्सी	30	40

**नोट: सब्जियों और फलों की दरें बाज़ार दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।**

**(किसी भी संशय की स्थिति में इस EoI का अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।)**